OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 1807
Dated 3/1/12

40 | ..

(13)

MOST IMMEDIATE

O.S.D. (PLG) 623
Diary No.
Date 3.1.2012

Commr. (Plg) - II
Despatch 324
Date 30.12.11

No. K-12011/4/2011 DDIB
भारत सरकार/Government of India

शहरी विकास मंत्रालय /Ministry of Urban Development

निर्माण भवन/Nirman Bhavan

नई दिल्ली/New Delhi

Dated 26-12-11

To

	The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi. 1	2.	The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-2
	The Chairman, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, New Delhi.	4.	The Principal Secretary(UD), Govt. of NCT of Delhi, I.P.Estate, New Delhi

Com(Plg)-II
29/12/2011

PP. ... for ...

Subject:- दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करने हेतु.

...

30/12

Sir,

OSD(Plg)

I am directed to forward herewith a copy of representation dated 16-12-2011 received from Jan Sangharsh Vahini (JSV) on the subject cited above for appropriate action, under intimation to this Ministry.

3/1/2012

Dir(MPR)

Yours faithfully,

(Sunil Kumar)
Under Secretary (DDIB)
Tel.No.23061681

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं. 3221-B
दिनांक 29/12/2011

3/1/12

Encl. as above.

AD I MPR

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

400

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4592
Date 20/12/11

ज्ञापन

To be examined
PS to UDM

दिनांक : 16.12.11

सेवा में,

श्री कमलनाथ जी
माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री
शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001

विषय : दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संसोधन करने, दिल्ली में आबाद अनधिकृत कालोनिया की जमीन को ध्यान मे रखकर तैयार किए गए रोहिणी जोन एम जैसे सभी जोनल प्लानों को रद्द करने, सरकार की अनुमति से तैयार किसी भी योजना के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले किसी भी घर या रोजगार के स्थलों के पुनर्वास का प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक 2011 में शामिल कराने, इन कालोनियों में खरीद–फरोख्त और नए निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाने,अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के जिस जमीन पर घर आबाद हैं उस जमीन का मालिकाना हक देने सहित 31 मार्च 1993 के बाद से अबतक गिराई गई अनधिकृत कालोनियों के बेघर लोगों का पुनर्वास करने की मांग के संबंध में।

महोदय,

मजदूर और किसानों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध जन संघर्ष वाहिनी पिछले दो दशको से दिल्ली में आबाद अनधिकृत कालोनियों के हितों के लिए संघर्ष रत है। इस दौरान एक तरफ सरकारों ने वर्ष 1993 से अबतक दर्जनों बार घोषणाएं की कि उसने दिल्ली में आबाद तमाम अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया है।अपनी घोषणाओं के विपरीत सरकार ने ऐसी आबाद अनधिकृत कालोनियों की जमीनों पर जोनल प्लान और मास्टर प्लान 2021 के तहत छोटी बड़ी सडको से लेकर आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक योजनाओं सहित हरित क्षेत्र विकसित करने की योजनाएं तैयार कर उस जमीन का अधिग्रहण भी किया। अकेले रोहिणी जोन एम में ऐसी कालोनियों की संख्या एक सौ अस्सी से अधिक है।

1200से अधिक ऐसी जिन अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए जो प्रोविजन सार्टिफिकेट दिल्ली सरकार ने वितरण कर रखे हैं उन सार्टिफिकेटों के वितरण का उद्घाटन दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2008 में यूपीए की अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी के हाथों कराया था। सरकारी स्तर पर की गई तमाम घोषणाओं के औचित्य को नकारते हुए दिल्ली विकास प्राधिकण (डीडीए) दिल्ली सरकार के द्वारा नियमित करने की सूची मे शामिल भगतसिंह पार्क, धरमवीर कालोनी और श्याम कालोनी की तरह ऐसी दर्जनों कालोनियों को गिराकर हजारों परिवारो को इसबीच में बेघर भी कर चुका है।

इसतरह सरकारी स्तर पर कालोनियों को नियमित करने के लिए की गई तमाम घोषणाओं से लोगों को गुमराह करके रखा गया लेकिन ऐसी तमाम घोषणाओं से किस–किस को लाभ पहुंचाया गया है यदि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाय तो सायद इसके आगे टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला भी बौना साबित हो जाएगा। जिन लोगों के इसबीच मे घर गिराए गए उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

दिल्ली विकास प्राधिकण (डीडीए) ने मास्टर प्लान 2021 और जोनल प्लानों में दर्शाई गई सड़कों को बनाने के लिए दिल्ली में आबाद दर्जनों ऐसी कालोनियों को ढहाने की तैयारी कर ली थी। जिसके कारण उत्तर–पश्चिम और पश्चिम जिले में आबाद ऐसी कालोनियों के हजारों परिवारों का बेघर होना तय हो चुका था। आपको तो जानकारी है ही कि इसी कारण जन संघर्ष वाहिनी की अगुआई में 12 और 13 दिसंबर को संसद के समक्ष जंतर–मंतर पर ऐसी कालोनियों के हजारो लोगों ने दो दिन का धरना दिया।

जन संघर्ष वाहिनी आपको बधाई देती है कि आपने इन कालोनियों के हित में मास्टर प्लान 2021 में बदलाव करने की मांग को आगामी तीन वर्ष में अमली जामा पहिनाने का निर्णय ले लिया है और साथ ही इन कालोनियों को अगले तीन वर्ष तक दिल्ली विकास प्राधिकण (डीडीए) के बुलडोजरों से बचाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 'राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा बिधेयक' पारित करा कर सार्थक काम कर किया है लेकिन इसकी सार्थकता तभी संभव है जब आप मास्टर प्लान 2021 और जोनल प्लानों में तैयार की गई उन सभी योजनाओं को रद्द कराने मे कामयाब रहोगे जो दिल्ली में आबाद अनधिकृत कालोनियों की जमीन को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।

देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही उत्तरोत्तर विकासमान है। राजधानी के रूप में अपने अस्तित्व के सौंवे साल में दिल्ली में आ चुकी है। इसी महानगर में देश के विभिन्न प्रांतों से रोजी–रोटी की तलाश और जीवन–यापन की बेहतर सुविधाओं की उम्मीद लेकर आए लोगों में शामिल लाखों लोग 1600 से ज्यादा अनधिकृत कालोनियों में प्लाट खरीद कर अपना घर बनाकर रह हैं जिनकी आबादी लगभग 45लाख से अधिक है। इनमें से ज्यादातर लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर अमानवीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के लिए तो विवश हैं ही। साथ ही कमरतोड मेहनत करके खून–पसीने की कमाई से तैयार किए गए मकानों में रहते हुए उनको बुलडोजरों का भय भी सताता रहता है।

इन कालोनियों में अधिकतर आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े, भूमिहीन, अल्प संख्यकों और अन्य कमजोर तबकों के ऐसे लोगों की हैं जो असंगठित क्षेत्र में जैसे बेलदारी, कार्पेंटरी, राज मिस्त्री, रिक्षा–थ्री वीलर–टेंपो चालक, कूड़ा बीनने वाले, रेहड़ी–फेरी और साप्ताहिक बाजारों में दुकान लगाने वाले, घरों–दुकानों–टेंटों–ढाबों निजी कार्यालयों और छोटी फैक्ट्रियों में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। जन संघर्ष वाहिनी आपका ध्यान दिल्ली मे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे मजदूरों की कालोनियों की तरफ दिलाना चाहती है जिन कालोनियों में रहने वाले लोगों ने अपने खून–पसीने की कमाई से एक–एक पैसा बचाकर कालोनाइजरों से प्लाट खरीदकर मकान बनाए हैं। ऐसी कालोनियों के नाम भी कालोनाईजरों ने ही तय किए हैं।

दर्जनों कुछ ऐसी कालोनियों को सरकारी विभाग ढहा पाने में इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उन कालोनियों को बचाने के लिए कालोनियों के हजारों लोगों ने जन संघर्ष वाहिनी का साथ दिया। आपको जानकारी है ही कि जन संघर्ष वाहिनी की अगुआई में वर्षों से रोहिणी जोन एम को रद्द करने और मास्टर प्लान में संसोधन कराने और दिल्ली में आबाद अनधिकृत कालोनियों की जमीनों का अधिग्रहण रद्द करने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। इसी संघर्ष का नतीजा है कि सरकार यह अधिसूचना जारी कर चुकी है कि अधिग्रहण कर रखी ऐसी जमीन पर आबाद अनधिकृत कालोनियों को निजी जमीन पर माना गया है जिस जमीन का मुआवजा नहीं उठाया गया है। लेकिन इस अधिसूचना में एक कमी है सरकार ने उस जमीन पर आबाद कालोनियों के निवासियों को उस जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया है जिस जमीन पर उनके घर आबाद हैं।

दिल्ली में आबाद 1600 से अधिक अनधिकृत कालोनियों में शामिल 180 से ज्यादा कालोनियां पश्चिम और उत्तर–पश्चिम जिला की उस जमीन पर आबाद हैं जिस जमीन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जोनल प्लान मुख्यतः 'रोहिणी जोन–एम' की छोटी–बड़ी सड़कों सहित, आवासीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक और हरित क्षेत्र की योजना को

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

Correspondence Address:C-172, Vijay Vihar,ph-II,Delhi-110085:Ph.011-205069,292113824789 E-mail: jsvindia@gmail.com

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

5 फेजों में विकसित करने का काम आरंभ किया है। इसके फेस 1, 2, और 3 का ज्यादातर काम लगभग पूरा हो चुका है योजना के तहत वही काम बाकी है जिस जमीन पर अनधिकृत कालोनियां आबाद हैं और फेस 4 और 5 का काम होना इसलिए बाकी है क्योंकि एक तो जमीन विभाग को अपने हाथ में लेनी है और कुछ मामलों में रोक है और ज्यादातर भू–भाग पर पहले ही अनधिकृत कालोनियां आबाद हैं। इस तरह दिल्ली सरकार द्वारा जारी 1639 कालोनियों की सूची में शामिल 180 से ज्यादा कालोनियां अकेले रोहिणी योजना की भेंट चढ़ जायेंगी और इस योजना को पूरा करने के लिए लाखों लोगों को बेघर किया जाना तय कर दिया जा चुका है।

हम यह भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकारें अस्सी के दशक से ही इन कालोनियों को नियमित करने और इनमें बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति करने की घोषणाएं करती आ रही हैं। अधिसंख्य मामलों में यह जनता को चुनावी मौसमी फल सरीखा दिखा। उस दौर में तो 567 कालोनियों को नियमित किया गया। किन्तु उसके बाद की सरकारों ने इन कालोनियों को नियमित करने की बड़ी–बड़ी घोषणाएं की और सार्टिफिकेट तक वितरण किए लेकिन एक भी कालोनी को पास नहीं किया है।

मान्यवर अभी तक जनसंघर्ष वाहिनी ने जो समझा–बूझा है, उसके आधार पर कुछ बातों को आपके संज्ञान में लाना चाहती है, मसलन :

अनधिकृत कालोनयों को तोड़–गिराने का सिलसिला

राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की तमाम कोशिशों के ठीक विपरीत दिल्ली विकास प्राधिकरण इन्हें तोड़–गिराने और इनमें में रह रहे लोगों को बेघर करने पर आमादा है। फरवरी 2004 से मई 2007 तक डीडीए ने दर्जनों अनधिकृत कालोनियों को पूरी तरह एवं आंशिक रूप में तोड़ कर उनमें रह रहे हजारों लोगों को बेघर किया है। दिल्ली उच्चन्यायालय ने कोर्ट कमीश्नर की सिफारिश पर वर्ष 2007 मे बुधविहार की दर्जन भर उन कालोनियों को भी गिराने के आदेश जारी कर दिये हैं जिन कालोनियों का नाम वर्ष 1993 से दिल्ली सरकार द्वारों पास करने के लिए तैयार की गई कालोनियों की सूची में शामिल हैं।

1. फरवरी 2004 में वर्षों पुरानी और विशाल भगत सिंह कालोनी को डीडीए ने तोड़–गिराया।

2. जून 2006 में 1993 में आबाद उत्तर–पश्चिम दिल्ली की धरमवीर कालोनी को पूरी तरह नेस्तनाबूत कर दिया।

3. सितंबर 2006 में डीडीए ने बाहरी दिल्ली क्षेत्र में स्थित मांगेराम पार्क और बुधविहार फेस–2 के वर्षों पुराने धरों को धाराशाही कर दिया।

4. दिसंबर 2006 में बुधविहार फेस–2, को गिराने की कार्रवाई की गई, जन संघर्ष वाहिनी ने हजारों लोगों के साथ मिलकर इसे कामयाब नहीं होने दिया।

5. 5 फरवरी 2007 को पाल कालोनी के बहुत बड़े भू–भाग पर आबाद सैकड़ों घरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने तोड़ डाला।

6. फरवरी 2007 में पुनः डीडीए ने सशस्त्र पुलिस बल के साथ बुधविहार की 265 एकड़ भूमि पर आबाद घरों को को तोड़ने के लिए धावा बोला। जिस भूमि पर बुधविहार फेस 1 का ज्यादातर हिस्सा व फेज –2 की 10 कालोनियों–वीर सिंह कालोनी, शर्मा कालोनी, कालू कालोनी, आजाद कालोनी, शिव विहार, हर्षदेव पार्क, मांगेराम पार्क, मांगेराम पार्क एक्स. और श्याम कालोनी आबाद हैं। जन संघर्ष वाहिनी के संयोजक भूपेन्द्र सिंह रावत की अगुआई में हजारों लोगों ने डीडीए की इस कार्यवाही को तबतक रोके रखा जबतक जन–आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय की संयोजिका प्रसिद्ध समाज सेविका मेधापाटकर, जन–आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के संयोजक डॉ. राजेन्द्र रवि और डॉ. राकेश रफीक घटनास्थल पर पहुंचे, और उनके पहुंचने के बाद डीडीए की इस कार्वाही को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

Correspondence Address:C-172,Vijay Vihar,ph-II,Delhi-110085:Ph.011-205069,292113824789 E-mail: jsvindia@gmail.com

397

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

7. 3 मई 2007 को श्याम कालोनी के तीन सौ से अधिक घरों तोड़कर लोगों को बेघर कर दिया। इस कालोनी के बेघर लोगों को न्याय दिलाने के लिए जन संघर्ष वाहिनी ने राजनिवास पर प्रदर्श किया। प्रदर्शन के दौरान राजनिवास से मिले आश्वासन के बाद जन संघर्ष वाहिनी ने इन बेघर लोगों के उसी जगह पर दुबारा से घर खडे कराए। इसतरह घरो के खड़े होने के बाद एनडीपीएल ने बिजली की आपूर्ती दुबारा शुरू की और सरकार ने उस कालोनी के ऐसे घरों में सड़क और नालियां भी बनवाई। अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 15 और 16 नवंबर 2011 को 2007 में दुबारा बने घरों को तोड़दिया, और तोडे गए घरों का मलबा, ईटें और इन घरों का सामान भी जब्त करके ले गए। जिसने भी अपना सामान बचाने का परयास उसे पुलिस ने बल प्रयोग करके ऐसा करने से रोका। इतनी कड़कती ठड म एस बघर लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं।

(नोटः–डीडीए द्वारा तोड़ी गई एवं तोड़ने के लिए निशाना बनाई गई उक्त सभी कालोनियां दिल्ली और केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर नियमित करने के लिए जारी सूची में शामिल हैं।)

हमारी अनधिकृत कालोनियों के अधिकारों की पैरवी के आधार :

1. दिल्ली विधानसभा में 1993 से अब तक अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए कई बार प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं।
2. अस्सी के दशक में पास की गई 567 कालोनियों के बाद इन कालोनियों को नियमित करने की घोषणाएं वर्ष 1993 से ज्यादा तेज हुई हैं जब 31 मार्च 1993 को हवाई सर्वेक्षण के आधर पर 1071 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की सूची तैयार की गई थी।
3. 20 जून 1998 को तत्कालीन मुख्यमंत्री और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने दिल्ली में आबाद 1100 अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया है।
4. इन कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने 27 फरवरी 2001 को दिल्ली उच्च न्यायालय में नीति पेश की।
5. अनधिकृत कालोनियों के मामले की सुनवाई के दौरान 25 नवंबर 2002 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार से पास होने वाली और पास न होने वाली कालोनियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
6. जून 2005 में दिल्ली सरकार द्वारा 1432 कालोनियों की सूची नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी गई।
7. 3 एवं 5 फरवरी 2007 को समाचार पत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा नियमित की जाने वाली कालोनियों की सूची प्रकाशित की गई।
8. दिल्ली सरकार ने दैनिक पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर 1432 अनधिकृत कालोनियों को नियमितकरने के लिए इनकी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्लूए) को नक्शा इत्यादि तैयार कर जमा करने के लिए विवश किया।
9. दिल्ली सरकार ने 1432 कालोनियों को नियमित किए जाने के संबंध में कालोनीवासियों को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर बधाई दी।
10. दिल्ली में आबाद अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यूपीए की अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी के हाथों 4 अक्टूबर 2008 को छत्रशाल स्टेडियम में प्रोविजन सार्टिफिकेट का वितरण

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

Correspondence Address:C-172,Vijay Vihar,ph-II,Delhi-110085:Ph.011-205069,29211 3824789 E-mail: jsvindia@gmail.com

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

करने की शुरूआत कर 1200 से अधिक कालोनियों को ऐसे सार्टिफिकेट जारी किए। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित और दिल्ली सरकार के विकास मंत्री राजकुमार चौहान भी मौजूद थे।

11. दिल्ली सरकार ने नियमित की जाने वाली 1432 कालोनियों के विकास के लिए 2800 करोड़ रूपये का बजट आवंटित करने का ऐलान किया।
12. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के आदेश के तहत दिल्ली सरकार द्वारा इन कालोनयों के पक्ष में विज्ञापन जारी करके घोषणा की गई कि सरकारी भूमि पर 31 मार्च 2002 तक और निजी भूमि पर अक्टूबर 2007 तक आबाद हो चुकी कालोनियों को नियमित किया जाएगा। साथ ही अधिग्रहण की गई भूमि जिस भूमि पर अनधिकृत कालोनियां आबाद हों और यदि किसानों द्वारा उसका मुआवजा उठाया जा चुका तो वह सरकारी भूमि मानी जाएगी और यदि मुआवजा नहीं उठाया गया है तो वह निजी भूमि है, इस आशय को भी स्पष्ट किया गया, जिसमें अनधिकृत कालोनियों की अधिग्रहण की गई भूमि को डि–नोटिफाइड करने की बात कही गई है। विज्ञापन में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का उल्लेख भी किया गया था।
13. पिछली लोकसभा के दौरान केन्द्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री के ओहदे पर रहते हुए श्री अजय माकन ने लोकसभा के सत्र में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी।
14. अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
15. दल्ली सरकार ने कुछ कालोनियों की रेजीडेंट वेलपफेयर एसोसिएशनों (आरडब्लूए) की भागीदारी योजना के तहत कार्याशाला का आयोजन कर तमाम कालोनियों को पास करने का ऐलान 8, 9 और 10 अप्रैल 2008 को किया।
16. ज्यादातर अनधिकृत कालोनियों में सरकार ने सड़क और नालियों का निर्माण कार्य करवा दिया है या कार्य जारी है इसके अलावा पानी की पाईपलाईनें भी बिछाई जा रही हैं।

मास्टर प्लान 2021 और दिशा–निर्देश 2007 की विसंगतियां

अनधिकृत कालोनियों के विरूद्ध डीडीए का यह हालिया अभियान मास्टर प्लान 2021 और केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देश 2007 को लागू करने के अलावा जोनल प्लान की योजनाओं को पूरा करने के नाम पर और तेज हो गया है। सरकारी अध्यादेश के चलते भले वर्तमान समय में अनधिकृत कालोनियों को तोड़े जाने की सीधी कार्रवाई न हो रही हो लेकिन अध्यादेश की अवधि समाप्त होते ही इन्हें तोड़ने की योजना सरकार ने बड़ी ही चालाकी से तैयार कर ली है। इस योजना के तहत अनधिकृत कालोनियों की रेजीडेंट वेलपफेयर एसोसिएशनों (आरडब्लूए) से कठिन शर्तों वाली अंडरटेकिंग ली गई है कि वे कालोनियों को पास करने के लिए सरकार का ले–आउट प्लान सषर्त या बिना शर्त स्वीकार करेंगे। **यथाः**

- रोहिणी परियोजना में मास्टर प्लान 2021 सहित जोनल प्लान में ऐसी कोई तबदिली नहीं की गई है जिससे उस क्षेत्र में आबाद कालोनियों को तोड़े बगैर योजना पूरी होती हो और कोर्ट कमीश्नर की सिफारिस पर अदालत ने इसी आधर पर रिठाला गांव के पास आबाद पाल कालोनी सहित बुधविहार में आबाद दश कालोनियों को गिराने को गिराकर 265 एकड़ भूमि खाली कराने के आदेश जारी किए थे।
- मास्टर प्लान को लागू करने के लिए कालोनियों में 9 मीटर चौड़ी सड़कें ही स्वीकृत होंगी। इससे कम चौड़ी वे सड़के ही स्वीकृत होंगी जो स्वीकृत 9 मीटर चौडी सड़कों से निकलकर 100 मीटर या इससे कम लंबी होंगी।
- मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित सड़कों, हरित पट्टी, यमुना खादर एवं ऐतिहासिक स्थलों में स्थित कालोनियां नियमित नहीं होंगी।
- सरकारी भूमि पर हवाई सर्वेक्षण (31मार्च 2002) के समय और निजी भूमि पर अक्टूबर 2007 तक 50 प्रतिशत से कम बसावट वाली कालोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा।
- सरकारी भूमि पर आबाद कालोनियों को पास कराने के लिए कालोनीवासियों को जमीन की कीमत और जमीन पर कब्जा करने का जुर्माना अदा करना होगा।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

Correspondence Address:C-172, Vijay Vihar,ph-II,Delhi-110085:Ph.011-205069,292113824789 E-mail: jsvindia@gmail.com

395

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

जन संघर्ष वाहिनी का दृष्टिकोण :

मास्टर प्लान और दिशानिर्देश के उपरोक्त शर्तों पर 95 प्रतिशत कालोनियां खरी नहीं उतरती, लिहाजा सरकार का इन कालोनियों में तोड़–फोड़ से बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश की अवधि समाप्त होते ही इन कालोनियों को तोड़ा जाना तय है। इससे इन कालोनियों में रह रहे करीब 45 लाख लोगों में से 40 लाख से अधिक लोगों के बेघर होने का खतरा बढ़ गया है।

पिछले लगभग दो दशक से अनधिकृत कालोनियों के विकास और उनके अधिकारों के लिए संघर्षरत जन संघर्ष वाहिनी का मानना है कि कालोनियों को पास करन क नाम पर सरकार की घोषणाओं से बेघर लोगों में घर लेने की ललक पैदा होती है और इससे जमीन की कई गुना कीमत बढ़ जाती है। इस तरह की घोषणाएं कर सरकार में शामिल राजनेता इस तरह बड़ी हुई कीमत से नोट और सरकारी घोषणाओं से वोट वसूलने का खेल निरंतर चलते आ रहे हैं।

मास्टर प्लान एवं दिशा–निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी जमीन पर आबाद कालोनियों के लोगों से जमीन की कीमत और जमीन पर कब्जा करने का जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि कालोनीवासियों ने जमीन कालोनाइजर से खरीदी है। खरीद–फरोख्त के कागजों का सत्यापन रजिस्ट्रार कार्यालय और सरकार से लाइसेंस प्राप्त नोट्री पब्लिक द्वारा किया जाता है।

जन संघर्ष वाहिनी अनधिकृत कालोनियों को नियमिति करने, मास्टर प्लान में संसोधन करने, रोहिणी जोन एम को रद्द करने, जिस जमीन पर ऐसी कालोनियां आबाद हैं ऐसी जमीन का मालिकाना हक कालोनियों वासियों को देन, और वर्ष 1993 के बाद गिराई जा चुकी सभी कालोनियों के निवासियों का पुनर्वास करने व इन कालोनियों को नियमित करने की मांगा को लेकर समय–समय पर धरना और प्रदर्शन करती हुई आ रही है।

अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लाखों लोगों की ओर से जन संघर्ष वाहिनी की मांगें :

1 मास्टर प्लान में संशोधन कर ऐसी सभी सड़कों, आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्र के अलावा हरितक्षेत्र विकसित करने की योजनाओं को रद्द किया जाय जो दिल्ली में आबाद 1600 से अधिक अनधिकृत कालोनियों की जमीन को ध्यान मे रखकर तैयार की गई हैं।

2 सरकार यदि अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के प्रति गंभीर है तो वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के रोहिणी जोन–एम की उन सभी सभी सड़कों, आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्र के अलावा हरितक्षेत्र विकसित करने की योजनाओं को रद्द किया जाय जो योजनाएं उस क्षेत्र मे आबाद आबाद 180 से अधिक अनधिकृत कालोनियों ढहाकर पूरी की जानी हैं।

3 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक 2011 में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित हो कि शहरों में किसी भी योजना से प्रभावित होने वाले घरों का पुनर्वास किया जाना जरूरी हो और पुनर्वास के लिए प्रत्येक घर के बदले नया घर बनाने के लिए मुआवजे के रूप में पर्याप्त धन और उतनी जमीन देने का भी प्रावधान होना चाहिए जितनी जमीन पर ऐसे घर आबाद हों।

4 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक 2011 में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाएं जिनके अनुसार ऐसी किसी भी योजना को तबतक आगे बढाने पर रोक हो जिस योजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था संभव न हो।

5 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक 2011 में ऐसा प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए जिसके मुताबिक 31 मार्च 1993 के बाद के प्रभावितों को भी पुनर्वास के वे सभी लाभ मिलने चाहिए जो नया कानून बनने के बाद प्रभावित होने वाले शहरी तबके को मिलने वाले हैं।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

Correspondence Address:C-172, Vijay Vihar,ph-II,Delhi-110085:Ph.011-205069,292113824789 E-mail: jsvindia@gmail.com

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

394

6 दिल्ली में जिस जमीन पर अनधिकृत कालोनियां आबाद हैं उस जमीन को ध्यान मे रखकर तैयार किए गए उन सभी जोनल प्लानों को रद्द किया जाय जिनके कारण ऐसी कालोनियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

7 अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के प्रति सरकार यदि गंभीर है तो इन कालोनियों के निवासियों को उनकी उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाय जिस पर उन्होंने मकान बना रखे हैं।

8 अनधिकृत कालोनियों में खरीद–फरोख्त पर लगी रोक के हटाकर पक्की रजिस्ट्री कर रेब्यन्यू एकत्र कर इन कालोनियों के विकास के लिए अलग से कोष का गठन किया जाय।

9 पूर्वी दिल्ली के ललिता पार्क, पुरानी दिल्ली के चांदनी महल क्षेत्र और उत्तम नगर में घटी घटनाओं की पुनरावृति न हो इसके लिए इन कालोनियों में मकान बनाने पर लगी रोक हटा दी जाय।

10 कालोनियों को नियमित करने के नाम पर उनकी आरडब्लूए से लिए गए कठिन शर्तो वाली अडरटेकिंग रद्द की जांय।

11 वर्ष 1993 से अबतक समय–समय पर अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की तमाम घोषणाऐं असत्य सिद्ध हुई हैं इसलिए इन तमाम घोषणाओं की सीबीआई से जांच कराकर यह पता लगाया जाय कि ऐसी घोषणाएं सरकारी स्तर पर किस–किस को लाभ पहुंचाने के लिए की गई हैं?

12 सरकार यदि अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के प्रति गंभीर है तो वह दिल्ली में उस जमीन का अधिग्रहण रद्द करे जिस जमीन पर अनधिकृत कालोनियां आबाद हैं।

महोदय, इन कालोनियों में निवास करने वाली सबसे बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले गरीब, मेहनतकश, अल्पसंख्यक और भूमिहीनों की है आप उनकी वस्तुस्थिति को समझते हुए, केन्द्र और राज्य सरकार की घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हुए जन संघर्ष वाहिनी की उपरोक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

इति सधन्यवाद।

भवदीय

भूपेंद्र सिंह रावत

संयोजक, जनसंघर्ष वाहिनी

सहयोगी संगठन:

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM)

भूमि बचाओ आन्दोलन Sant Ram Pal

शहरी महिला कामगार संगठन

समाज सेवा उत्थान समिति (रजि0),

मनसा जन कल्याण मंच

राष्ट्रीय घरेलू कामगार यूनियन

Banshi Dhar Thakur